अनुदान संख्या 97 – शहरी विकास मंत्रालय
GRANT No. 97 - MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*88,30,00*	*92,30,00*	*73,70,18*	*-18,59,82*
पूरक	*Supplementary*	*4,00,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	17356,59,00	18526,63,00	15984,39,09	-2542,23,91
पूरक	Supplementary	1170,04,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*90,00,00*	*58,61,80*	*-31,38,20*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*4,00,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	19242,81,00	19328,85,00	15287,84,40	-4041,00,60
पूरक	Supplementary	86,04,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3970,00,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*₹1859.82 लाख*) जुलाई, 2017 में प्राप्त *₹400.00 लाख* के पूरक *विनियोग* से अधिक थीं और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 20 प्रतिशत थीं।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*₹ 1859.82 lakhs*) exceeded the supplementary *appropriation* of *₹400.00 lakhs* obtained in July, 2017 and constituted 20 percent of the total sanctioned *appropriation*.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	*O.*	*8500.00*	*8900.00*	*7083.10*	*-1816.90*
पू.	*S.*	*400.00*			

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹ 2.00 लाख* का *विनियोग* पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹2.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head.

(II) "अन्य आवास – रख–रखाव और मरम्मत – अन्य रख–रखाव व्यय" के अंतर्गत *₹ 5004.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹400.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके *₹5404.00 लाख* तक बढ़ाया गया जो, तथापि, कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण *₹347.35 लाख* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under "Other Housing - Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure" - the original *appropriation* of *₹5004.00 lakhs* was augmented to *₹ 5404.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹400.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *₹347.35 lakhs* - due to requirement of less funds towards salaries of work charged staff.

(III) "अन्य आवास – अन्य व्यय" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(III) Under "Other Housing - Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(का) "फर्निशिंग्स" – *₹150.90 लाख* की बचत (*₹310.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) चल रहे कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(A) "Furnishings" - saving of *₹150.90 lakhs* (against the sanctioned appropriation of *₹310.00 lakhs*) was due to slow pace of ongoing works.

(खा) "पट्टा प्रभार" – *₹ 1213.88 लाख* की बचत (*₹ 2986.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) बिजली प्रभारों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(B) "Lease Charges" - saving of *₹1213.88 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹ 2986.00 lakhs*) was due to requirement of less funds towards electricity charges.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹84.42 लाख* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 75 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of *₹ 84.42 lakhs* occurred constituting 75 percent of the sanctioned *appropriation*.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (*₹254223.91 लाख*) जुलाई, 2017, दिसम्बर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए *₹ 117004.00 लाख* के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹254223.91 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹117004.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and constituted 14 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2058" लेखन सामग्री तथा मुद्रण	Major Head "2058" Stationery and Printing				
मू.	O.	28768.00	28769.00	24401.14	-4367.86
पू.	S.	1.00			
मुख्य शीर्ष "2059" लोक निर्माण कार्य	Major Head "2059" Public Works				
मू.	O.	185805.00	197149.20	190012.32	-7136.88
पू.	S.	12000.00			
पु.	R.	-655.80			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education		987.00	820.40	-166.60
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	84703.00			
पू.	S.	18001.00	104040.00	100332.32	-3707.68
पु.	R.	1336.00			
मुख्य शीर्ष "2217"	Major Head "2217"				
शहरी विकास	Urban Development				
मू.	O.	309468.00			
पू.	S.	2.00	277870.98	76669.60	-201201.38
पु.	R.	-31599.02			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	14678.00			
			..	..	..
पु.	R.	-14678.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in aid to State Governments				
मू.	O.	1077874.00			
पू.	S.	87000.00	1214965.31	1181000.74	-33964.57
पु.	R.	50091.31			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602" विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	25327.00	20527.51	17133.51	-3394.00
पु.	R.	-4799.49			

(I) ₹212402.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹212202.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹212402.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹212202.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2217" – "अन्य शहरी विकास स्कीमें – आरक्षित निधि / जमा लेखे को अंतरण" – राष्ट्रीय स्वच्छता कोष को अंतरण" – ₹193061.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) – शीर्ष के अंतर्गत असावधानीवश बजट का प्रावधान किए जाने के कारण।

(A) "Major Head "2217" - "Other Urban Development Schemes - Transfer to Reserve Fund/ Deposit Account - Transfer to Rashtriya Swachhata Kosh" - ₹193061.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) - due to inadvertent provisioning under the head.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" – "जल पूर्ति – शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम" –

(B) Major Head "2552" - "Water Supply - Urban Water Supply Programme"-

(क) "जल पूर्ति की वृद्धि" – ₹500.00 लाख;

(a) "Augmentation of Water Supply"- ₹500.00 lakhs;

(ख) "पूर्वोत्तर राज्यों में सीवरेज प्रणाली का विकास / सुधार" – ₹300.00 लाख;

(b) "Development/Improvement of Sewerage System in North Eastern States" - ₹300.00 lakhs;

(ग) "शहरी अवसंरचना विकास परियोजना" – ₹10778.00 लाख; और

(c) "Urban Infrastructure Development Project" - ₹10778.00 lakhs; and

(घ) "समाजिक/सामुदायिक विकास परियोजना" – ₹3000.00 लाख।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा –स्वच्छ भारत मिशन" – ₹4563.00 लाख – संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और शीर्ष के अंतर्गत असावधानीवश बजट का प्रावधान किए जाने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "2059" – "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – सीपीडब्ल्यूडी स्थापना" – ₹100103.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹100603.00 लाख किया गया। तथापि, वेतन तथा स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण ₹1476.67 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(का) मुख्य शीर्ष "2059" – "कार्यालय भवन" –

(क) "अनुरक्षण तथा मरम्मत – अन्य अनुरक्षण व्यय" – ₹18900.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹22900.00 लाख किया गया जो, तथापि, चालू अनुरक्षण कार्यों की धीमी गति के कारण ₹268.63 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "पट्टा प्रभार – स्थानीय निकायों आदि को किराए, दरों तथा करों का भुगतान" – ₹20450.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹7000.00 लाख का पूरक अनुदान

(d) "Social/Community Development Project"- ₹3000.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share -Swachh Bharat Mission" - ₹4563.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from the Union Territory Governments and inadvertent provisioning under the head.

(II) Under Major Head "2059" - "General - Direction and Administration - CPWD Establishment" - the original provision of ₹100103.00 lakhs was augmented to ₹100603.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹500.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1476.67 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards salaries and establishment related expenses.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilized to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2059" - "Office Buildings" -

(a) "Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure" - the original provision of ₹18900.00 lakhs was augmented to ₹22900.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹268.63 lakhs - due to slow pace of ongoing maintenance works.

(b) "Lease Charges - Payment of Rent, Rates and Taxes to Local Bodies etc." - the original provision of ₹20450.00 lakhs was

प्राप्त करके बढ़ाकर ₹27450.00 लाख किया गया जो, तथापि, बकाया बिलों पर ब्याज/अर्थदंड माफ किए जाने के कारण ₹1358.84 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2216" – "सामान्य पूल आवास – अनुरक्षण तथा मरम्मत – अन्य अनुरक्षण व्यय" – ₹31840.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹6500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹38340.00 लाख किया गया जो, तथापि, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधियों के आवश्यकता के कारण ₹309.68 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – स्वच्छ भारत मिशन" – ₹215251.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹25000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹240251.00 लाख किया गया जो, तथापि, शीर्ष के अंतर्गत असावधानीवश बजट का प्रावधान करने के कारण ₹3787.53 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष "2058" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "लेखन सामग्री भंडारों की खरीद और पूर्ति – लेखन सामग्री नियंत्रक" – ₹347.57 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4115.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) "सरकारी प्रकाशन – प्रकाशन नियंत्रक" – ₹283.42 लाख की बचत (₹3025.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुईं।

augmented to ₹27450.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹7000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹1358.84 lakhs - due to requirement of less funds owing to waiving of interest/penalty on outstanding bills.

(B) Major Head "2216" - "General Pool Accommodation - Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure" - the original provision of ₹31840.00 lakhs was augmented to ₹38340.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹6500.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹309.68 lakhs - due to requirement of less funds by implementing agencies.

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Swachh Bharat Mission" - the original provision of ₹215251.00 lakhs was augmented to ₹240251.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹25000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹3787.53 lakhs - due to inadvertant provisioning under the head.

(IV) Under Major Head "2058" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Purchase and Supply of Stationery Stores - Controller of Stationery" - saving of ₹347.57 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4115.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(B) "Government Publications - Controller of Publications" - saving of ₹283.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3025.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards establishment related expenses.

(गा) "फार्मों का मुद्रण, भंडारण और वितरण – फार्म भंडार, कोलकाता" – ₹311.87 लाख की बचत (₹981.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुद्रणालयों के यौक्तिकीकरण की वजह से हुई।

(C) "Printing, Storage and Distribution of Forms - Forms Store, Kolkata" - saving of ₹311.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹981.50 lakhs) was due to rationalization of Presses.

(घा) "सरकारी मुद्रणालय – मुद्रण मुद्रणालय" – ₹3308.71 लाख की बचत (₹19422.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुई।

(D) "Government Presses - Printing Presses" - saving of ₹3308.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19422.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(V) मुख्य शीर्ष "2059" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(V) Under Major Head "2059" - savings occurred under the following heads:-

(का) "कार्यालय भवन" –

(क) "मशीनरी एवं उपस्कर – नए पूर्तिकर्ता और मरम्मत" – ₹780.42 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "रख–रखाव और मरम्मत – कार्य प्रभारित स्थापना" – ₹767.02 लाख की बचत (₹15662.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुई।

(A) "Office Buildings"-

(a) "Machinery and Equipments - New Supplies and Repairs" - saving of ₹780.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the implementing agencies.

(b) "Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment" - saving of ₹767.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15662.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(खा) "अन्य भवन" –

(क) "निर्माण – भवन" – ₹195.99 लाख की बचत (₹350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंचलों/प्रभागों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "मरम्मत और रख–रखाव" –

(i) "कार्य प्रभारित स्थापना" – ₹177.05 लाख की बचत (₹7157.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य प्रभारित कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुई।

(B) "Other Buildings" -

(a) "Construction-Buildings" - saving of ₹195.99 lakhs (against the sanctioned provisionof ₹350.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from zones/ divisions.

(b) "Maintenance and Repairs" -

(i) "Work Charged Establishment" - saving of ₹177.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7157.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts of work charged staff.

(ii) "अन्य रख–रखाव व्यय" – ₹260.05 लाख की बचत (₹6700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू निर्माण कार्यों की गाति धीमी होने के कारण हुई।

(गा) "सामान्य" –

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

(i) "निष्पादन" – ₹846.14 लाख की बचत (₹6997.00 लाख के स्वीकृत प्रावधानों की तुलना में) कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(ii) "कम्प्यूटरीकरण स्कीम" – ₹498.11 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधानों की तुलना में) कम्प्यूटरों की खरीद के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "प्रशिक्षण – प्रशिक्षण संस्थान तथा अनुसंधान एवं विकास यूनिट आदि" – ₹838.88 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "अन्य व्यय – विभागीय कैंटीनें" – ₹137.45 लाख की बचत (₹180.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वेतन और स्थापना संबंधी व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं।

(VI) मुख्य शीर्ष "2202" – "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय" – ₹164.07 लाख की बचत (₹981.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(ii) "Other Maintenance Expenditure" - saving of ₹260.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6700.00 lakhs) was due to slow progress of ongoing works.

(C) "General"-

(a) "Direction and Administration"-

(i) "Execution" - saving of ₹846.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6997.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries of work charged staff and non-filling up of vacant posts.

(ii) "Scheme of Computerisation" - saving of ₹498.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for purchase of computers.

(b) "Training - Training Institute and Research and Development Unit etc." - saving of ₹838.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs); and

(c) "Other Expenditure - Departmental Canteens" - saving of ₹137.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹180.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards salaries and other establishment related expenses.

(VI) Under Major Head "2202" - "General - Direction and Administration - Government of India Text Book Press" - saving of ₹164.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹981.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(VII) मुख्य शीर्ष "2216" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "सामान्य पूल आवास" –

(क) "मरम्मत और रख–रखाव – कार्य प्रभारित स्थापना" – ₹1259.36 लाख की बचत (₹19396.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य प्रभारित कर्मचारियों के रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(ख) "अन्य व्यय – संपदा निदेशालय" – ₹1072.66 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹7127.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांगें प्राप्त होने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य आवास" –

(क) "मरम्मत और रख–रखाव" –

(i) "कार्य प्रभारित स्थापना" – ₹401.49 लाख की बचत (₹6223.00 लाख के स्वीकृत प्रावधानों की तुलना में) कार्य प्रभारित कर्मचारियों के रिक्त पदों को न भरे जान के कारण हुई।

(ii) "अन्य अनुरक्षण व्यय" – ₹265.27 लाख की बचत (₹6400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "अन्य व्यय – निर्माण" – ₹242.81 लाख की बचत (₹853.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें चालू रख–रखाव कार्यों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं।

(VII) Under Major Head "2216" - savings occurred under the following heads:-

(A) "General Pool Accommodation"-

(a) "Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment" - saving of ₹1259.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19396.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts of work charged staff.

(b) "Other Expenditure - Directorate of Estates" - saving of ₹1072.66 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7127.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to receipt of less demands from the implementing agencies and non-filling up of vacant posts.

(B) "Other Housing"-

(a) "Maintenance and Repairs"-

(i) "Work Charged Establishment" - saving of ₹401.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6223.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts of work charged staff.

(ii) "Other Maintenance Expenditure"- saving of ₹265.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6400.00 lakhs); and

(b) "Other Expenditure - Construction"- saving of ₹242.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹853.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards ongoing maintenance work.

(VIII) मुख्य शीर्ष “2217” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:—

(का) “अन्य शहरी विकास स्कीमें” —

(क) “निदेशन और प्रशासन — स्वच्छ भारत अभियान” — ₹29708.61 लाख की बचत (₹47126.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार के लिए कम निधियों की आवश्यकता, खुले में शौच मुक्त शहरों के सत्यापन के लिए भाड़े पर ली गई एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) “स्थानीय निकायों/निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता”—

(i) “राष्ट्रीय धरोहर नगर कार्यक्रम (हृदय)” — ₹4151.15 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने तथा प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ii) “शहरी नवीकरण मिशन 500 निवास (अमृत)” — ₹8921.45 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹11809.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग प्राप्त होने तथा वेतन के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) “सामान्य” — “निदेशन और प्रशासन” —

(क) “शहरी परिवहन (स्वदेशी स्रोत) में शहरी परिवहन आयोजना तथा क्षमता निर्माण” — “1315.97 लाख की बचत (₹2900.00 लाख के कुल स्वीकृत

(VIII) Under Major Head “2217” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Other Urban Development Schemes”-

(a) “Direction and Administration - Swachh Bharat Mission” - saving of ₹29708.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹47126.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards advertising and publicity and non-receipt of proposals from agencies hired for verification of Open Defecation Free cities.

(b) “Assistance to Local Bodies/Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc.”-

(i) “National Heritage Cities Programme (HRIDAY)” - saving of ₹4151.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to receipt of less demands from the implementing agencies and non-finalisation of proposals.

(ii) “Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitations (AMRUT)” - saving of ₹8921.45 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹11809.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to receipt of less demand from the implementing agencies and requirement of less funds towards salaries.

(B) “General - Direction and Administration”-

(a) “Urban Transport Planning and Capacity Building in Urban Transport (Domestic Sources)” - saving of ₹1315.97 lakhs

प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of ₹2900.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the implementing agencies.

(ख) "दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को अनुदान" – ₹377.00 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली मैट्रो रेल परियोजना के चरण–3 के विस्तार के लिए भारत सरकार से अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

(b) "Grants to Delhi Metro Rail Corporation"- saving of ₹377.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to non-receipt of approval from Government of India for Delhi Metro Rail Project Phase-3 extension.

(ग) "शहरी परिवहन (विदेशी सहायता संघटक) में क्षमता निर्माण" – ₹482.64 लाख की बचत (₹1081.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परामर्शदाताओं को भुगतान के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा "शहरी विकास आयोजना में नेतृत्व" प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किए जाने के कारण हुई।

(c) "Capacity Building in Urban Transport (External Aid Component)" - saving of ₹482.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1081.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards payments to consultants and non-conducting of "Leaders in Urban Transport Planning" training programme.

(IX) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – शहरी नवीकरण मिशन – 500 निवास (अमृत)" ₹3630.49 लाख की बचत (₹10964.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र सरकार से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(IX) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitation (AMRUT)" - saving of ₹3630.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10964.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the Union Territory Governments.

(X) उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ₹178.22 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु, ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 36 प्रतिशत और 76 प्रतिशत थीं।

(X) Under two heads savings of ₹178.22 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 36 percent and 76 percent of the sanctioned provision.

3. (I) उपर्युक्त बचतें अधिक व्यय द्वारा भी निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं थीं–

3. (I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2216" – "सामान्य पूल आवास – अन्य व्यय – भवन – पट्टा प्रभार" – के अंतर्गत ₹1263.14 लाख का अधिक व्यय (₹11500.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹21500.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(A) Major Head "2216" - "General Pool Accommodation - Other Expenditure - Buildings - Lease Charges" - excess of ₹1263.14 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹21500.00 lakhs

किराए, बिजली/जल प्रभार तथा सेवा कर के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "2217" – "अन्य शहरी विकास स्कीमें"–

(क) "स्थानीय निकायों/निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता – 100 स्मार्ट शहरों के लिए मिशन" – ₹1573.13 लाख का अधिक व्यय (₹14550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शहरी सुधार और प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "अन्य व्यय" –

(i) "शहरी अवसंरचना विकास परियोजना" – ₹3792.97 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधानों की तुलना में); और

(ii) "सामाजिक/सामुदायिक विकास परियोजना" – ₹135.50 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर इस्तेमाल के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" –

(क) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – शहरी नवीकरण मिशन – 500 निवास (अमृत)" – ₹6164.82 लाख का अधिक व्यय (₹477228.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जेएनएनयूआरएम परियोजना की पूर्ति के

including supplementary grant of ₹11500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards rent, electricity/water charges and service tax.

(B) Major Head "2217" - "Other Urban Development Schemes"-

(a) "Assistance to Local Bodies/Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. - Mission for 100 Smart Cities" - excess of ₹1573.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14550.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards urban reforms and training.

(b) "Other Expenditure" -

(i) "Urban Infrastructure Development Project" - excess of ₹3792.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh); and

(ii) "Social/Community Development Project" - excess of ₹135.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head "3601" -

(a) "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitations (AMRUT)" - excess of ₹6164.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹477228.00 lakhs) was due to requirement of additional funds

लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता तथा राज्य सरकारों से अधिक मांग के कारण हुआ।

(ख) "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संसाधनों का केंद्रीय पूल" –

(i) "पूर्वोत्तर राज्यों में जलापूर्ति संवर्द्धन कार्यक्रम" – ₹500.00 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ii) "पूर्वोत्तर राज्यों में मल निकासी प्रणाली का विकास/सुधार" – ₹300.00 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(iii) "पूर्वोत्तर राज्यों में शहरी अवसंरचना विकास परियोजनाएं" – ₹7950.11 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(iv) "पूर्वोत्तर राज्यों में सामाजिक तथा सामुदायिक विकास परियोजनाएं" – ₹1899.42 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(v) "पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास परियोजनाएं" – ₹2999.92 लाख का अधिक व्यय (₹10000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹19740.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

towards replenishment of JnNURM project and more demand from the State Governments.

(b) "Other Transfer/Grants to States - Central Pool of Resources for North Eastern Region"-

(i) "Augmentation of Water Supply Programme in North Eastern States" - excess of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh);

(ii) "Development/Improvement of Sewerage System in North Eastern States" - excess of ₹300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh);

(iii) "Urban Infrastructure Development Projects in North Eastern States" - excess of ₹7950.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh);

(iv) "Social and Community Development Projects in North Eastern States" - excess of ₹1899.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh); and

(v) "North Eastern Region Urban Development Projects (NERUDP)" - excess of ₹2999.92 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹19740.00 lakhs including supplementary grant of ₹10000.00 lakhs).

Excess under the above five heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹100.00 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 10000 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of ₹100.00 lakhs occurred constituting 10000 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में, निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बचतें हुईं :–

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	*O.*	*8900.00*	*8500.00*	*5764.94*	*-2735.06*
पु.	*R.*	*-400.00*			

(I) "सरकारी आवासीय भवन – अन्य आवास – राष्ट्रपति की सम्पदा" – के अंतर्गत *₹3063.54 लाख* की बचत (*₹8800.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) ग्राहक विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन न मिलने तथा किफायत उपायों के कारण हुई।

(I) Under "Government Residential Buildings - Other Housing - President's Estate"- saving of *₹3063.54 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹8800.00 lakhs*) was due to non-receipt of administrative approval from the client department and economy measures.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹71.52 लाख* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 72 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of *₹71.52 lakhs* occurred constituting 72 percent of the sanctioned *appropriation*.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (*₹404100.60 लाख*) जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 तथा मार्च, 2018 में प्राप्त *₹8604.00 लाख* के पूरक अनुदान से अधिक थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत थीं।

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹404100.60 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹8604.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and constituted 21 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	65720.00			
पू.	S.	4602.00	85322.00	81226.97	-4095.03
पु.	R.	15000.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	74210.00			
पू.	S.	4000.00	67710.00	65101.78	-2608.22
पु.	R.	-10500.00			
मुख्य शीर्ष "4217" शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4217" Capital Outlay on Urban Development				
मू.	O.	270002.00			
पू.	S.	1.00	324879.00	324876.55	-2.45
पु.	R.	54876.00			
मुख्य शीर्ष "4250" अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	3000.00			
			1500.00	1192.24	-307.76
पु.	R.	-1500.00			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "6217"	Major Head "6217"				
शहरी विकास के लिए कर्ज	Loans for Urban Development				
मू.	O.	1510999.00			
पू.	S.	1.00	1056124.00	1056123.00	-1.00
पु.	R.	-454876.00			

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹1.00 लाख का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – अन्य आवास – आवास" – के अंतर्गत ₹14210.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹18210.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ग्राहक विभागों से प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय मंजूरी न मिलने के कारण ₹2163.02 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - Housing"- the original provision of ₹14210.00 lakhs was augmented to ₹18210.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹2163.02 lakhs - due to non-receipt of administrative approval and expenditure sanction from the client departments.

(III) मुख्य शीर्ष "4059" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईं :–

(III) Under Major Head "4059" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य भवन – निर्माण – राष्ट्रीय स्मृति का सृजन, समाधियों/स्मारकों का उन्नयन" – ₹723.65 लाख की बचत (₹960.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Other Buildings - Construction - Creation of Rashtriya Smriti, Upgradation of Samadhis/ Memorials"- saving of ₹723.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹960.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the implementing agencies.

(खा) "कार्यालय भवन – निर्माण – भवन" – ₹1099.64 लाख की बचत (₹24840.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(B) "Office Buildings - Construction - Buildings" - saving of ₹1099.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24840.00 lakhs); and

(गा) "सामान्य – निर्माण – खान" – ₹540.06 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(C) "General - Construction - Mines" - saving of ₹540.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें चालू कार्यों की धीमी गति होने के कारण हुईं:–

Savings under the above two heads were due to slow pace of ongoing works.

(IV) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – सामान्य पूल आवास – शहरी विकास निर्माण" – ₹10945.20 लाख की बचत (₹60000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू कार्यों की धीमी गति तथा जोनों/डिवीजनों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings- General Pool Accommodation - Urban Development Construction" - saving of ₹10945.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60000.00 lakhs) was due to slow progress of ongoing works and receipt of less proposals from zones/ divisions.

(V) मुख्य शीर्ष "4250" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(V) Under Major Head "4250" - savings occurred under the following heads:-

(का) "श्रम – भवन" – ₹752.81 लाख की बचत (₹1600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(A) "Labour- Buildings"- saving of ₹752.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs); and

(खा) "नियोजन – आवास" – ₹1054.95 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(B) "Employment - Buildings" - saving of ₹1054.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें चालू कार्य के धीमी गति से होने तथा संबंधित विभागों से प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to slow pace of ongoing works and non-receipt of administrative approval and expenditure sanction from the client departments.

(VI) मुख्य शीर्ष "6217" – "अन्य शहरी विकास स्कीमें – नगर निगम को कर्ज – एमआरटीएस तथा मेट्रो परियोजनाएं" – के अंतर्गत ₹454877.00 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1511000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न मेट्रो से कम मांग प्राप्त होने तथा दिल्ली मेट्रो के जेआईसीए ऋण ट्रेंच–III को अंतिम रूप न दिए जान के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "6217" - "Other Urban Development Schemes - Loans to Municipal Corporation - MRTS and Metro Projects" - saving of ₹454877.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1511000.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to receipt of less demand from various Metros and non-finalisation of Delhi Metro's JICA loan Tranche-III.

(VII) एक शीर्ष के ₹69.36 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थी।

(VII) Under one head saving of ₹69.36 lakhs occurred constituting 23 percent of the sanctioned provision.

6. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹71376.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹4603.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

(I) मुख्य शीर्ष "4059" – "सामान्य – निर्माण – अन्य मंत्रालयों / विभागों के कार्यालय भवन" – ₹16500.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹13268.32 लाख था।

(II) मुख्य शीर्ष "4217" – "अन्य शहरी विकास स्कीमें – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश – एमआरटीएस तथा मेट्रों परियोजनाएं" – ₹54876.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹54874.55 लाख था।

7. सरकारी गैर–वाणिज्यिक विभाग की मूल्यह्रास आरक्षित निधिः–

सरकार की मूल्यह्रास आरक्षित निधि (गैर–वाणिज्यिक विभाग) का गठन संयंत्र, मशीनरी और फर्नीचर के नवीकरण और प्रतिस्थापन के लिए अपेक्षित लागत को पूरा करने के उद्देश्य से आरक्षित पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक पद्धति को शुरू करने के लिए किया गया था ताकि मुद्रणालय को स्वतः कुशल कार्यस्थिति में रखा जा सके। मूल्यह्रास की गणना मुद्रणालय के कार्य मात्रा उत्पान में उपयोग हो चुकी परिसंपत्तियों के मूल्य पर की जाती है। तदनुसार, निधि में इतनी धनराशि होगी जो सामान्य टूट–फूट पर खर्च होने वाली पूंजी की तुलना में पर्याप्त होगी। निधि को सरकारी लेखों में जमा के रूप में माना जाएगा और निधि को देय प्राप्तियों को वर्ष के दौरान ज्ञात की गई मूल्यह्रास की वास्तविक राशि के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों की समाप्ति से ठीक पहले जमा कर देना होगा। बचत प्रावधान विभाग की सूचना के आधार पर किया जाता है। सरकारी मुद्रणालयों में मूल्यह्रास निधि की नियमावली के नियम 4 के अनुसार समय–समय पर उपलब्ध शेष राशि पर ब्याज को निधि में इसलिए जमा नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकारी मुद्रणालयों में लागत प्रणाली में ब्याज की गणना मूल पूंजीगत मूल्य पर नहीं बल्कि ह्रासित पूंजीगत मूल्य पर ही की जाती है। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमावली के नियम 6 के अनुसार निधि से व्यय शुरू में उपयुक्त विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध

6. The above savings were partly (₹71376.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹4603.00 lakhs under the following major heads:-

(I) Major Head "4059" - "General - Construction - Office Building of Other Ministries/ Departments"- ₹16500.00 lakhs. Actualexcess, however, was ₹13268.32 lakhs.

(II) Major Head "4217" - "Other Urban Development Schemes - Investment in Public Sector and Other Undertakings - MRTS and Metro Projects" - ₹54876.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹54874.55 lakhs.

7. Depreciation Reserve Fund of Government Non-commercial department:-

Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) was constituted for introducing the commercial practice to provide a reserve sufficient fund to meet the required cost for renewal and replacement of plant, machinery and furniture so that the Press may be kept automatically in an efficient working condition. Depreciation is calculated on the value of assets which had been used in producing the outturn of the Press. The Fund will accordingly contain an amount of money sufficient to replace the capital consumed by normal wear and tear. The Fund shall be treated as a deposit in the Government accounts and receipts due to the Fund shall be credited immediately prior to the closing of the accounts of each financial year on the basis of the actual amount of depreciation worked out during the year. Budget provision is made on the basis of intimation from the Department. As per Rule 4 of Rules for the Depreciation Fund in Government Presses, interest on the balances in hand from time to time will not be credited to the fund owing to the fact that the costing system in Government Presses

किया जाना चाहिए और वर्ष के अंत में उतनी ही राशि जमा लेखा मूल्यह्रास निधि से विस्तृत शीर्ष को अंतरित की जाएगी।

includes a calculation of interest, not on the original capital value, but on the depreciated capital value only. Further as per Rule 6 of the said Rules, Expenditure from the Fund must be accounted for in the first instance under the appropriate detailed head and at the end of the year an equivalent sum will be transferred from the Deposit Head Depreciation Fund to the detailed head.

वर्ष 2017–2018 के लिए सरकार की मूल्यह्रास आरक्षित निधि (गैर–वाणिज्यिक विभाग) का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) for 2017-2018 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	34,03,83
प्राप्तियां	Receipt	1,15,50
अदायगियां	Payments	..
अंतशेष	Closing Balance	35,19,33